

राजस्थान सरकार
आयोजना (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प. 1(5) सांख्यिकी/2002

जयपुर, दिनांक:-

31 JUL 2017

—: आज्ञा :-

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 1(16) वित्त/नियम/98 दिनांक 24.05.07 एवं प. 12(6) वित्त/नियम/2010 दिनांक 18.05.2011 के अनुसार राजस्थान आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा के निम्नलिखित अधिकारीगण जो वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले हैं, इनकी जन्मतिथि कॉलम संख्या 4 में अंकित है और ये कॉलम संख्या 5 में अंकित तिथि को 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर रहे हैं। इन अधिकारियों को कॉलम संख्या 5 में अंकित तिथि को मध्याह्न पश्चात राज्य सेवा से एतद्वारा सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम अधिकारी	पदनाम	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति की तिथि
1	2	3	4	5
1	श्री मदन मोहन शर्मा	सांख्यिकी अधिकारी	26.07.1957	31.07.2017
2	श्री गिरिराज प्रसाद गुप्ता	सांख्यिकी अधिकारी	10.07.1957	31.07.2017
3	श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री गजानन्द	सांख्यिकी अधिकारी	05.07.1957	31.07.2017
4.	श्री अमिल कुमार भार्गव	सांख्यिकी अधिकारी	20.07.1957	31.07.2017
5.	श्री रमेश कुमार जैन	सांख्यिकी अधिकारी	10.09.1957	30.09.2017
6.	श्री जगनारायण कुमावत	सांख्यिकी अधिकारी	08.09.1957	30.09.2017
7.	श्री राजेश कुमार लवानियां	सांख्यिकी अधिकारी	21.10.1957	31.10.2017
8.	श्री संग्राम ताडी	सांख्यिकी अधिकारी	01.01.1958	31.12.2017
9.	श्री अशोक कुमार आहुजा	सांख्यिकी अधिकारी	01.01.1958	31.12.2017
10.	श्री राजवहादुर शर्मा	सांख्यिकी अधिकारी	26.01.1958	31.01.2018
11.	श्री हरिशंकर शर्मा पुत्र मुकुट बिहारी शर्मा	सांख्यिकी अधिकारी	15.03.1958	31.03.2018
12.	श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री चिरंजीलाल शर्मा	सांख्यिकी अधिकारी	13.03.1958	31.03.2018

कार्मिक (क-3) विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार आदिनांक तक उक्त अधिकारियों के विरुद्ध कोई विभागाय जांच/एफ.आई.आर./शिकायत विचाराधीन नहीं है।

आज्ञा से

sd-

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित शासन सचिव/विभागाध्यक्ष।
2. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, योजना भवन, जयपुर।
3. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स, कल्याण विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग, सचिवालय, जयपुर को मय अतिरिक्त प्रति के।
6. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, आयोजना विभाग।
7. संबंधित अधिकारीगण
8. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

सहायक शासन सचिव